

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,  
विशेष सचिव,  
30 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
नगरीय निकाय निदेशालय,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 26 मार्च 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न नगर पंचायतों को पूर्व में अयस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत विभिन्न नगर पंचायतों को अयस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजनान्तर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा सम्बन्धित नगर पंचायतों के द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजनाओं के आधार पर, सम्बन्धित कार्यों हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी थी, जिसके सापेक्ष सम्बन्धित नगर पंचायतों द्वारा आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोग करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः आदर्श नगर योजना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्न 03 नगर पंचायतों को उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि चालू कार्यों हेतु अवमुक्त करते हुए, कुल धनराशि रुपये 42.50 लाख (रुपये वयालीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र	निकाय/जनपद का नाम	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जाने वाली अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	न.पं. रसूलाबाद जनपद-कानपुर देहात	169/2016/1829आ.न.यो./9-8-16-17आ.न.यो.(बजट)/2016 दिनांक 26.12.2016	30.00	15.00	15.00
2	न.पं. जरवल जनपद-बहराइच	155/2016/1131आ.न.यो./9-8-16-11आ.न.यो.(बजट)/2016 दिनांक 15.11.2016	30.00	15.00	15.00
3	न.पं. सिकन्दरा जनपद-कानपुर देहात	154/2016/1532आ.न.यो./9-8-16-13आ.न.यो.(बजट)/2016 दिनांक 07.11.2016	25.00	12.50	12.50
योग			85.00	42.50	42.50

( रुपये वयालीस लाख पचास हजार मात्र )

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2217- शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-आदर्श नगर विकास योजना-35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि को आहरित कर आदर्श नगर योजना के संचालन हेतु खोले गये पृथक राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा कराकर शासन के कार्यालय जाप दिनांक 23.03.2015 में निर्धारित व्यवस्थानुसार आगामी 07 दिवस के अन्दर ई-पेमेंट के माध्यम से सम्बन्धित निकायों के बचत खाते में सीधे स्थानान्तरित की जाय।

4. उपर्युक्त नागर निकायों द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों का सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों के के माध्यम से सत्यापन कराकर एक माह के अन्दर सत्यापन आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी एवं प्रथम किश्त की धनराशि से कराये गये कार्यों का सत्यापन सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से कराये जाने के उपरान्त ही निकायों द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

5. यह भी सूच्य है कि उपर्युक्त निकायों को अयमुक्त की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.2018 तक के लिए निर्धारित है। अतः उक्त अवधि में द्वितीय किश्त की धनराशि का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
6. सम्बन्धित नागर निकायों को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत पूर्व में जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित स्तम्भ 03 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
7. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

( अनिल कुमार बाजपेयी )  
विशेष सचिव।

संख्या- 05 (1)आ.न.यो./9-8-2018 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

अज्ञा से

( अनिल कुमार बाजपेयी )  
विशेष सचिव।